न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2022 राजस्व अपील

1. जगन उर्फ जगनिया पुत्र चुनियाराम जाति मीना निवासी ग्राम कालेड तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय व आदेश सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 6.7.2021 उनवानी प्रकरण क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम जगनिया धारा 91 प्रकरण संख्या 6/2020)

उपस्थिति : श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट बहस के दौरान अनुपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 16.07.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ने वन खण्ड दीपपुरा की आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.1196 है. भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्का मकान बना रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 का प्रकरण सहायक वन संरक्षक दौसा के न्यायालय में दर्ज किया गया। जिस पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उपस्थिति बाबत अपना अंगूठा लगाया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब व सबूत का मौका दिये बगैर ही अपीलान्ट का वन विभाग की जमीन पर कब्जा होना स्वीकार किया लिखते हुये निर्णय दिनांक 6.7.2021 पारित कर अपीलान्ट को एक माह के सिविल कारावास व 2100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 6.7.2021 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का सुनवाई जवाब व सबूत का मौका दिये बगैर ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट दिनांक 6.7.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा हाजिरी बाबत् अंगूठा निशानी अंकित किया था परन्तु अपीलान्ट ने अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के [illegible] से अपीलान्ट का अतिक्रमण करना स्वीकार करते हुये निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर न तो अतिक्रमण किया है ना ही अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को सजा करने में कानूनी गलती की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:57:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यदि अपीलान्ट के समक्ष निर्णय पारित किया जाता तो अपीलान्ट को निर्णय की पालना में या तो जेल भेजा जाता या जमानत ली जाती जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.7.2021 निरस्त कर पत्रावली को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया है।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वन भूमि खसरा नम्बर 851 रकबा 0.1196 है. भूमि गै0 मु0 पहाड की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा का पक्का भवन निर्माण पाये जाने पर अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील प्रति पर अपीलान्ट के स्वयं के हस्ताक्षर भी अंकित है। नोटिस जारी होने के उपरान्त अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट का वन भूमि खसरा नम्बर 851 रकबा 0.1196 है. पर पक्का भवन निर्माण कर अतिक्रमण पाये जाने पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 6.7.2021 पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 6.7.2021 पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित भी हुआ है। अपीलान्ट द्वारा वन भूमि खसरा नम्बर 851 रकबा 0.1196 है. भूमि गै0 मु0 पहाड पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलन्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व सबूत का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के प्रकरण संख्या 06/2020 उनवानी सरकार बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई में पारित निर्णय दिनांक 6.7.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल [illegible] को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट [illegible] मिलेर [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:57:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official